



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129158

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 10799 वर्ष 2026

आकाश यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमर नाथ तिवारी, बृज लाल शुक्ला, मुकुल यादव, राजेश यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, शिव सागर सिंह

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आज न्यायालय में दाखिल किया गया अनुपूरक शपथ-पत्र पत्रावली पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश यादव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सागर सिंह के नाम-पत्र धारी अधिवक्ता श्री मयंक उपाध्याय, राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अनुशीलन किया गया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक, आकाश यादव की ओर से विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकद्दमा अपराध संख्या 611 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 109, 191(2), 333, 115(2), 352 तथा 351(3) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना- बांसगांव, जिला- गोरखपुर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु योजित किया गया है।
4. संक्षेप में, अभियोजन कथानक के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक तथा छह अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने आहत व्यक्तियों को चोट कारित की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त-आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में या आहत व्यक्तियों के कथन में अभियुक्त-आवेदक को कोई विशिष्ट या भिन्न भूमिका आरोपित नहीं की गई है और चोट कारित करने के संबंध में सभी अभियुक्त व्यक्तियों को केवल समान एवं सामान्य भूमिका आरोपित की गई है। इसके अतिरिक्त, इस घटना में आठ व्यक्तियों को चोटें आई हैं परंतु ममता और कुंजबिहारी को आई चोटों को छोड़कर, जिन्हें उनके सिर के हिस्से में बंद अस्थिभंग हुआ है, सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आहत ममता और कुंजबिहारी के कथनों में, अभियुक्त-आवेदक की कोई विशिष्ट और भिन्न भूमिका आरोपित नहीं की गई है, बल्कि आहत व्यक्तियों को चोट कारित करने के संबंध में अभियुक्त-आवेदक आकाश यादव और अजीत यादव की समान भूमिका आरोपित की गई है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त-आवेदक आकाश यादव और सह-अभियुक्त अजीत यादव दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के कथन के अनुसार, इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। यह कथन है कि विचारण के निष्कर्ष में पर्याप्त रूप से लंबा समय लगेगा तथा जमानत पर रिहा किए जाने की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतएव, जमानत की प्रार्थना की गई है।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि सह-अभियुक्त अजीत यादव की जमानत की प्रार्थना इस न्यायालय की एक समकक्ष न्यायपीठ द्वारा आदेश दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से पहले ही निरस्त की जा चुकी है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण पूर्व प्रक्रम पर आवेदक की निर्दोषता का न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है, अतएव, वह किसी भी रियायत का अधिकारी नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।
7. इन दलीलों पर विचार करने के पश्चात कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में छह अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अभियुक्त-आवेदक नामजद है परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आहत व्यक्तियों के कथन में अभियुक्त-आवेदक को कोई विशिष्ट या भिन्न भूमिका आरोपित नहीं की गई है और चोट कारित करने के संबंध में सभी अभियुक्त व्यक्तियों को केवल समान एवं सामान्य भूमिका आरोपित की गई है। इस घटना में आठ व्यक्तियों को चोटें आई हैं परंतु ममता और कुंजबिहारी को आई चोटों को छोड़कर सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं परंतु आहत ममता और कुंजबिहारी के कथनों में, अभियुक्त-आवेदक की कोई विशिष्ट और भिन्न भूमिका आरोपित नहीं की गई है बल्कि अभियुक्त-आवेदक आकाश यादव और अजीत यादव की समान भूमिका आरोपित की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथन के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक आकाश यादव और सह-अभियुक्त अजीत यादव दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के कथन के अनुसार, इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है तथा, अतएव, अभियोजन गवाहों को डराने-धमकाने और उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है और विचारण के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को दृष्टिगत रखते हुए, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय **2024** (एससी) लॉ-सूट **677** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पैराग्राफ संख्या **53**, भारत संघ बनाम के.ए. नजीब **(2021) 3 एससीसी** तथा सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य **(2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के सूत्रवाक्य पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक वैयक्तिक बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय द्वारा निदेशित रूप में उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक (i) मामले के आरंभ होने, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने हेतु अभियुक्त का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथन लेखबद्ध किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय पूर्णतः विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित करेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

अंकित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।